पत्र संख्या–15/डी0एल0ए0 दरभंगा (रा0उ0प0सं0–88)–33/2013, पटना–15, दि0– 42

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

संख्या एस0 ओ0, सख्या–2247/रा0. पटना दिनांक –13-09-13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि गाँव–पोहद्दी चादर–3, परगना धरौर, थाना घनश्यामपुर, थाना नं0 347, अंचल–घनश्यामपुर, जिला–दरभंगा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात–एस0एच0–88 वरूणापुल (एन0एच0–103) से रसियारी पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्यक्त प्रयोजन के लिए पूर्वोक्त गाँव–पोहद्दी चादर–3 के भीतर जमीन का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 2.745 एकड़ के बराबर होता है और जिसमें 2.745 एकड़ कृषि योग्य है। ली जाने वाली भूमि का खेसरा नं0 निम्नलिखित है एवं जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है।

अंश खेसरा – 10032, 10033, 10031, 10017, 10018, 10015, 10013, 9852, 9844, 9847, 9849, 9848, 9856, 9815, 9814, 9812, 9811, 9810, 9809, 9804, 9808, 9807, 9805, 9806, 9791, 9788, 9724, 9789, 9787, 9736, 9730, 9731, 9732, 9733, 9735

पूर्ण खेसरा – X

चौहद्दी :–

उ0 – सीमाने पाली

द0 – सीमाने पाली

पू0 – सीमाने पाली

प0 – पोहद्दी चादर–2

यह अधिसूचना अधिनियम 1,1894 की धारा 4 (चार) के उपबंधो के अधीन जैसा कि (बिहार अधिनियम, 11,1961 द्वारा यथा संशोधित) एवं भू–अर्जन संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है जिनका इन से संबध हो।

उक्त भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी,दरभंगाके कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा और उनके स्टाफ तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे प्रबन्धक, (तक0) बिहार स्टेट रोड डेभलोपमेन्ट कॉरपोरेशन लि0, पी0आई0यू0, हाजीपुर सम्प्रति समस्तीपुर के पदाधिकारीयों एवं स्टाफ को प्राधिकृत करती है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियमों की (धारा)–4 की उपधारा (2) में यथा उपबधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

और चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भुमि बंजर/कृषि योग्य है तथा उसका/उनका तुरंत अर्जन आवश्यक है, इसलिये उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता हैं कि उक्त अधिनियम की घारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

3/10/12 — अमीन,

06-10-12 — जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा।

8-10-12 — अपर समाहर्त्ता, दरभंगा।

10/12 — समाहर्त्ता, दरभंगा।

अवर सचिव, बिहार सरकार।

ज्ञापांक संख्या–15/डी0एल0ए0 दरभंगा (रा0उ0प0सं0–88)–33/2013, 2247/रा0 पटना–15, दि0– 13-09-13

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0 डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, दरभंगा को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

12/9/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।